

कार्यालय नगर परिषद शहपुरा, जिला डिण्डोरी (म0प्र0)

E-Mail : cmoshahpuradidori@gmail.com

Phone : 07640-230224

एन.आई.टी. क्र0 /219..... / न0प्र0 / 2026-27

शहपुरा, दिनांक 14/05/2026

// ई-निविदा आमंत्रण सूचना //

नगर परिषद शहपुरा जिला डिण्डोरी अंतर्गत निम्नलिखित कार्य हेतु लो.नि.वि. केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत समस्त ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट <https://www.mptenders.gov.in> पर देखा जा सकता है -

ई-निविदा क्रमांक	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाख में)	अमानत राशि (रुपये में)	निविदा फार्म का शुल्क (रुपये में)	ठेके की समयावधि
1	2	3	4	5	6
2026_UAD_507578	एस.डी.आर.एफ. योजनांतर्गत वार्ड क्र. 14, 15, 07 में एवं वार्ड क्र. 01, 02 में नाला निर्माण कार्य (चुतर्थ आमंत्रण)	106.52	53300.00	12500.00	09 माह वर्षाकाल छोंडकर

- (1) निविदा प्रपत्र वेबसाईट <https://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी।
 - (2) ऑनलाईन निविदा प्रपत्र खरीदने की तिथि 15.05.2026 से 30.05.2026 सायं 5:30 बजे तक है।
 - (3) ऑनलाईन बिड सबमिट करने की अंतिम तिथि 30.05.2026 सायं 5:30 बजे तक है।
 - (4) निविदा दिनांक 01.06.2026 को प्रातः 11.00 बजे से खोली जावेगी।
 - (5) ठेकेदार द्वारा निम्नलिखित समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाईन ही अपलोड करना अनिवार्य होगा -
 - (अ) अमानत राशि (EMD) एवं टेण्डर फार्म खरीदी की रसीद।
 - (ब) टेण्डर फार्म के Annexure-B अनुसार शपथपत्र (Affidavit) नोटरी सहित (संशोधित प्रारूप में)।
 - (स) केन्द्रीयकृत लो0नि0वि0 का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
 - (द) पेन नम्बर, जी.एस.टी., ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन एवं Annexure-H (Organization Details)
 - (7) निविदा के समस्त अधिकार एवं निविदा दर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर परिषद शहपुरा जिला डिण्डोरी के पास सुरक्षित होगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
 - (8) निविदाकार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/शासन के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 - (9) निविदाकार को निविदा दर स्वीकृति उपरांत अनुबंध सूचना जारी करने के 15 दिवस भीतर संपूर्ण स्वीकृत राशि निकाय को कोष में जमा करना होगा।
 - (10) निविदाकारों को दर समस्त करों सहित भरना अनिवार्य होगा।
 - (11) निविदाकार को दर स्वीकृति उपरांत जिला श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक (विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1570 के अंतर्गत प्रारूप-05 तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ठेकेदार के उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेका निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।
 - (12) निविदा प्रपत्र अनुबंध का एक भाग होगा एवं ऐसी अन्य समस्त नियम एवं शर्तें तथा किसी भी विवाद की स्थिति में जो कि उल्लेखित नहीं है के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश/दिशा निर्देश अंतिम एवं मान्य होंगे जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
 - (13) योजनांतर्गत शासन द्वारा प्रदाय/उपलब्ध राशि के आधार पर ही भुगतान यथासमय किया जावेगा जिसे निविदाकार को मान्य करना होगा।
 - (14) निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन में केवल ऑनलाईन संशोधन किया जावेगा, समाचार पत्र में नहीं।
 - (15) अतिरिक्त जानकारी वेबसाईट <https://www.mptenders.gov.in> देखी जा सकती है या नगर परिषद शहपुरा जिला डिण्डोरी कार्यालय में उपस्थिति होकर कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है।
- नोट - निविदाकार को ई.पी.एफ. का पंजीयन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा एवं निविदाकार लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र दर स्वीकृति उपरांत देना अनिवार्य होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।

(सुश्री रीना सिंह रावत)
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद शहपुरा (डिण्डोरी)